



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935
No. 481] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 561(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 13 और धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सूची में,—

(क) क्रम संख्यांक 4 और संख्यांक 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4	मैसर्स प्रगति लैब्स और कंसल्टेंट प्रा. लि., प्लॉट संख्या 0 8, टैंपल रॉक एंक्लेव, लेन ऑफ लिंक वेल भवन के सामने, टैंडबंग X रोड, सिकंदराबाद-500009 (आंध्र प्रदेश)	(1) श्री एम रवि किरण (2) श्री बी एन राव (3) सुश्री शाहीदा बेगम	26.02.2014 से 25.02.2019
35	मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीएस प्लाट सं. 512 (पी), मौजा हंसपुकरिया, हायमंड हरबर रोड पी.ओ. जोका, जिला-साउथ 24 परगना, कोलकता - 7001004 (प. बंगाल)	(1) श्री दीपकर डे सरकार (2) श्री सुभोज्योति देनियरी (3) श्री सत्यचरण मन्ना	26.02.2014 से 25.02.2019

